14.10.25

प्रतिवादी/वादी की ओर से वकील श्री हाजी
वाद दायर दिनांक 28-6-22 से आखिरी तारीख
को 90 दिन तक करार कर तारीख समाप्त
हो गई थी जिसे हटाने हेतु लिखित उत्तर है।

हुक्म या कार्यवाही मय शेणा

हुक्म
मे

कि उनके द्वारा न्यायालय में मोदेसर
की याचना नहीं की जा रही है अतः वाद
वादी नॉन कमप्लाईल से खारिज किया
जाता है प्रतिवादी गण को लेकर देय
तमसील प्रतावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर